Office of the Comptroller & Auditor General of India New Delhi -110 124

(For exclusive use in IA&AD and not to be quoted or published elsewhere)

Circular No. 05 - Staff (App 1)/2019
No. 89 - Staff (App 1)/16-2015
Dated: 17 .01.2020

To

1. All the Heads of Department in the IA&AD
2. The Director General (Exam)
3. The Pr. Director (Commercial)
4. The Pr. Director (IR & Training)
5. The Director (P)

Subject: **Recruitment Rules for the posts of Data Entry Operator Grade 'F' (Level 8) and Data Entry Operator Grade 'E' (Level 7) in Indian Audit and Accounts Department.**

Sir/Madam,

I am to enclose a copy of Recruitment Rules for the posts of Data Entry Operator Grade 'F' and Data Entry Operator Grade 'E' in Indian Audit and Accounts Department, notified in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR No. 372 dated 10.12.2019 published in Gazette of India on 04.01.2020.

2. As per Column 11 of the Schedule of the Recruitment Rules, the eligibility criteria for promotion to the posts of Data Entry Operator Grade 'F', is Data Entry Operator Grade 'E' in level 7 of pay matrix (Rs 44,900-1,42,400) with two years regular service in the grade and having successfully completed four weeks of training in relevant area as prescribed by the Department from time to time.

3. As per Column 11 of the Schedule of the Recruitment Rules, the eligibility criteria for promotion to the posts of Data Entry Operator Grade 'E', is Data Entry Operator Grade 'D' in level 6 of pay matrix (Rs 35,400-1,12,400) with five years regular service in the grade and having successfully completed four weeks of training in relevant area as prescribed by the Department from time to time.

4. Accordingly, the Cadre Controlling Offices are requested to take up the issue regarding training plan/module for training of eligible Data Entry Operator Grade 'E' and Data Entry Operator Grade 'D' with the Training Wing of Headquarters' Office and trained them so that they can be considered for promotion to the posts of Data Entry Operator, Grade 'F' and Data Entry Operator, Grade 'E' as per revised Recruitment Rules.

5. Further, the Cadre Controlling Offices are also requested to ensure that officials holding the posts of Data Entry Operator Grade 'F' and Grade 'E' on deputation basis fulfil the eligibility criteria and possess the education qualification as prescribed in Column 11 of the Schedule of the Recruitment Rules to the post.

6. The receipt of this circular may be acknowledged.

Yours faithfully,

(V. S. Venkatanathan)
Assistant Comptroller and Auditor General (N)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2004—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15012020-215405
CG-DL-W-15012020-215405

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 52] नई दिल्ली, दिसम्बर 29, 2019—जनवरी 4, 2020, शनिवार/पौष 8—पौष 14, 1941
No. 52] NEW DELHI, DECEMBER 29, 2019— JANUARY 4, 2020, SATURDAY/PAUSHA 8—PAUSHA 14, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.372 .— संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति से परामर्श के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में डाटा इंट्री ऑपरेटर समूह श्रेणी 'च' और डाटा इंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ड़' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (डाटा इंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'च' और डाटा इंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ड़' समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर .**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्धारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. डाटा इंट्री ऑपरेटर समूह श्रेणी 'च'	93* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -8, (रु.47600-151100)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति भर्ती:** सीधी होगी या प्रोन्नति द्धारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु 44900-142400) में डाटा इंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ड' में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा

समय-समय पर यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलाता पूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण :- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्धारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी, :

(क) (i) जो वर्तमान काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु.44900-142400) या इसके समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी के दो वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक योगताएं और अनुभव रखते हों:-

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविघालय / संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग / सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविघालय या संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/ सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई. या बी. टेक ।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कार्यक्रमण / सरकारी विभाग में सूचना तंत्र / पब्लिक सेक्टर उपक्रम / स्वायत निकाय / कानूनी निकाय में दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्धारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्धारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संवर्ग नियंत्रण अधिकारी के पंक्ति के महानिदेशक / प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार / लेखा के प्रधान निदेशक -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार/निदेशक/उप महालेखाकार/प्रशासन के भारसाधक उप निदेशक -सदस्य 3. ज्येष्ठ उप महालेखाकार/निदेशक/उप महालेखाकार/उप निदेशक -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. डाटा इंट्री ऑपरेटर समूह	123*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं ।

श्रेणी 'ड़'	(2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर-7, (रु.44900-142400)।		**टिप्पण 1:-** केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)
मान्यताप्राप्त विश्वविघालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग / सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री रखता हो या मान्यताप्राप्त विश्वविघालय या संस्थान से (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग / कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्योगिकी) बी.ई./बी.टेक । **टिप्पण 1:-** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:-** अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(8)	(9)	(10)
आयु: नहीं । शैक्षणिक योग्यता: नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । **टिप्पण:-** सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आज्ञापक प्रोवेशन प्रशिक्षण पूरा करना एक पूर्वापेक्षा है ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (आई एस टी सी) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (रु.35400-112400) में डाटा इंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'डी' में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा समय-समय पर यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलाता पूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण :- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्धारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (आई एस टी सी):

केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / विश्वविधालयों / मान्यताप्राप्त शोध संस्थान / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / अर्धसरकारी कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी, :

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग मे सदृश पद धारण किए हुए हो;

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु.35400-112400) या इसके समकक्ष नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो ।

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं ।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्धारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्धारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संवर्ग नियंत्रण अधिकारी के पंक्ति के महानिदेशक /प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार / प्रधान निदेशक -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार / निदेशक / उप महालेखाकार/ प्रशासन के भारसाधक उप निदेशक -सदस्य 3. ज्येष्ठ उप महालेखाकार / निदेशक /उप महालेखाकार / उप निदेशक –सदस्य **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. संवर्ग नियंत्रण अधिकारी के पंक्ति के महानिदेशक / प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार / प्रधान निदेशक -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार / निदेशक / उप महालेखाकार / प्रशासन के भारसाधक उप निदेशक - सदस्य 3. ज्येष्ठ उप महालेखाकार / निदेशक / उप महालेखाकार/उप निदेशक –सदस्य	जब सीधी भर्ती किया जाना हो तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हैं।

[फा.सं. ए-12018/01/2016-ई.जी]

निर्मला देव, उप सचिव (ई जी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 10th December, 2019

G.S.R. 372 .—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Data Entry Operator Grade 'F' and Data Entry Operator Grade 'E' in the headquarters and field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Data Entry Operator Grade 'F' and Data Entry Operator Grade 'E'), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, level in pay matrix.**—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person-,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Data Entry Operator Grade 'F'	*93 (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level 8 (Rs. 47600-151100)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Data Entry Operator Grade 'E' in Level - 7 in Pay Matrix (Rs. 44900-142400) with two years regular service in the grade and have successfully completed four weeks of training in relevant area as prescribed by the department from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government: (A) (I) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department Or (II) two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7 in Pay Matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre/department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: (I) Master's Degree in Computer Applications/ Information Technology/ Computer Science of a recognised University/ Institute;	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Cadre Controlling Officer in the rank of Director General / Principal Accountant General/Accountant General/ Principal Director of Audit - Chairman (2) Senior Deputy Accountant General/Director/Deputy Accountant General/Deputy Director in-charge of administration - Member (3) Senior Deputy Accountant General / Director /Deputy Accountant General / Deputy Director - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

or B.E./B.Tech in Computer Engineering/ Computer Science/ Computer Technology/ Computer Science and Engineering/ Information Technology from a recognized University/ Institute, (II) two years experience of Programming/ Information System in a Government office/Public Sector Undertaking/ autonomous body/statutory body or in any recognised institution. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Data Entry Operator Grade 'E'	*123 (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level 7 (Rs. 44900-142400)	Selection	Not exceeding 30 years. **Note-1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note-2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and

					not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Possessing Master's Degree in Computer Applications/ Information Technology/ Computer Science from a recognised university/ institute; or B.E./B.Tech. (Computer Engineering/ Computer Science/ Computer Technology/ Computer Science and Engineering/ Information Technology) from a recognised university/ institute. **Note 1**:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Educational qualification: No	Two years for direct recruits. **Note:** Mandatory Induction Training for DR.	By promotion failing which by deputation including short term contract (ISTC) and failing both, by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Data Entry Operator, Grade 'D' in Level - 6 in Pay Matrix (Rs. 35400-112400), with five years regular service in the grade and have successfully completed four weeks	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Cadre Controlling Officer in the rank of Director General /Principal Accountant General/Accountant General / Principal Director of Audit -Chairperson (2) Senior Deputy Accountant General / Director /Deputy	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

of training in relevant area as prescribed by the department from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation including short term contract (ISTC):** Officers under the Central/State Governments/universities/recognized research institutes/public sector undertakings/semi-Government Statutory or autonomous organizations : (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; (II) five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-6 in Pay Matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre/ department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (ISTC). Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3**: The maximum age limit for	Accountant General/Deputy Director in-charge of administration. - Member (3) Senior Deputy Accountant General / Director /Deputy Accountant General / Deputy Director -Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (1) Cadre Controlling Officer in the rank of Director General / Principal Accountant General / Accountant General / Principal Director of Audit - Chairperson (2) Senior Deputy Accountant General / Director / Deputy Accountant General / Deputy Director in-charge of administration. -Member (3) Senior Deputy Accountant General / Director / Deputy Accountant General / Deputy Director -Member	

appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/01/2016-EG]

NIRMALA DEV, Dy. Secy. (EG)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.373 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कोलकाता, (कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक) समूह 'ग' पद के भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कोलकाता में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कोलकाता, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक,(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को पद प्रवृत होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की सविदा की हो

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की सविदा की हो

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वकीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य् आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।